

1.	विभाग	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
2.	योजना का नाम	सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना।
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी	सरकार द्वारा घोषित मण्डी क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि संबंधी कार्य करते हुए किसानों, खेतिहर मजदूरों, मण्डी समिति के मजदूरों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समिति के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त को सहायता दी जाती है।
4.	पात्रता की अर्हता	18 से 60 वर्ष के मध्य की आयु वाले किसान/मजदूरों को दुर्घटनाग्रस्त अर्थात अंग क्षतिग्रस्त होने पर रू0 3,000 से 60,000 तक तथा मृत्यु होने पर रू0 2,00,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।
5	आवेदन की प्रक्रिया	दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका निकट संबंधी घटना के 30 दिन के अन्दर मण्डी समिति के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र को भरकर संबंधित मण्डी समिति के कार्यालय में जमा करेगा। दावे के निपटान के उपरान्त धनराशि पीड़ित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को चेक के माध्यम से दी जायेगी।
6.	लिंक वेबसाईट	http://upmandiparishad.upsdc.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक मण्डी परिषद से सम्पर्क किया जा सकता है।